

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची।

सेवामें,

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
कोडरमा।

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत मो0 5.00 लाख (पाँच लाख) रु0 मात्र के निधि का अतिरिक्त आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1948 एवं 1949, सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1712 एवं 1713, विभागीय आवंटन सं0 66 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025, आवंटन सं0 67 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025, स्वीकृत्यादेश शुद्धिपत्र सं0 73 दिनांक 17.01.2025, शुद्धिपत्र सं0 74 दिनांक 17.01.2025, शुद्धिपत्र सं0 274 दिनांक 17.03.2025, ऑन-लाईन रिभोक आवंटन सं0-4049, 4050, 4051, 4052, 4053 तथा 4054 तथा मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 14 (आ0) दिनांक 19.01.2025, आवंटन सं0 19 (आ0) दिनांक 18.03.2025, आवंटन सं0 20 (आ0) दिनांक 21.03.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 45 रा0 (वि0) दिनांक 27.12.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1948 एवं 1949, सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024, ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 1712 एवं 1713, विभागीय आवंटन सं0 66 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025, आवंटन सं0 67 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025, स्वीकृत्यादेश शुद्धिपत्र सं0 73 दिनांक 17.01.2025, शुद्धिपत्र सं0 74 दिनांक 17.01.2025, शुद्धिपत्र सं0 274 दिनांक 17.03.2025, ऑन-लाईन रिभोक आवंटन सं0-4049, 4050, 4051, 4052, 4053 तथा 4054 के आलोक में मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत मो0 5.00 लाख (पाँच लाख) रु0 मात्र संलग्न विवरणी के अनुरूप जिलावार अतिरिक्त आवंटित किया जाता है।

2. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-23/बी०टी०ई०-11/2023-24/257/बजट दिनांक-21.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

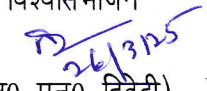
(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं झारखण्ड सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी की जाय।

3. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो राशि का व्यय SNA SPARSH Module के तहत सभी नियमों को अनुपालन करते हुए संबंधित कोषागार से किया जाएगा।

4. विगत वर्षों में भारत सरकार से राशि विमुक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह आवंटन वर्तमान वर्ष में स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित है।
5. भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग के पत्र सं0F.No. J-01011/1/2020-Fy-(E17706) दि० 6th August 2024 से स्वीकृति प्राप्त है, एवं F.No. J-01011/1/2020-Fy-(E17706) दि० 22nd October 2024 द्वारा Mother Sanction केन्द्रांश के रूप में विमुक्ति आदेश प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश सं० 45 रा० (वि०) दिनांक 27.12.2024 एवं स्वीकृत्यादेश सं० 39 रा० (वि०) दिनांक 14.10.2024 एवं शुद्धिपत्रों के कडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। प्रत्येक माह का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
7. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
8. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
9. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
10. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य श्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
11. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०-ऑनलाईन आवंटन

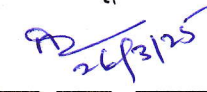
विश्वासभाजन


(एच० एन० द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

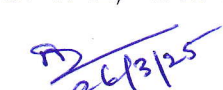
सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-90/2021-22/ 21 (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.03.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश सह SNA, PMMSY/उप मत्स्य निदेशक सह नोडल पदाधिकारी, SNA SPARSH, PMMSY, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/निदेशक मत्स्य के सचिव, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-90/2021-22/ 21 (आ०) /मत्स्य/राँची/दिनांक 26.03.2025

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रयोजित योजना)

(केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अन्तर्गत निधि का अतिरिक्त आवंटन

क्र0	स्थापना का नाम	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना		लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना		लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोग-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना		कुल आवंटन
		विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान 49 आर्थिक सहायता (केन्द्रांश)	विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान 49 आर्थिक सहायता (राज्यांश)	विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान 49 आर्थिक सहायता (केन्द्रांश)	विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान 49 आर्थिक सहायता (राज्यांश)	विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान 49 आर्थिक सहायता (केन्द्रांश)	विस्तृत शीर्ष- 06-अनुदान 49 आर्थिक सहायता (राज्यांश)	
	विपन्न कोड	53C2405001017701064 9	53S2405001017701064 9	53C2405007897701064 9	53S2405007897701064 9	53C2405007967701064 9	53S2405007967701064 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला म0 पद0, कोडरमा	0	0	300000	200000	0	0	500000
	Total	0	0	300000	200000	0	0	500000

कुल आवंटित राशि मो0 पाँच लाख र0 मात्र।

21 (आठ)
26/03/2025

निदेशक मत्स्य
शारखण्ड, राँची

22/03/25



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - II/90/24-25/6TH/21

दिनांक - 26-Mar-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)	103710	KDMFSH001 VIJAY KUMAR SINGH DIST.FISH.OFF.KDM. 49 - आर्थिक सहायता	300,000.00 रुपये तीन लाख
2	S 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान Central Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)	103718	KDMFSH001 VIJAY KUMAR SINGH DIST.FISH.OFF.KDM. 49 - आर्थिक सहायता	200,000.00 रुपये दो लाख

योग: रुपये पाँच लाख

क्रमिक योग:

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

500,000.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53C24050078977010649	53S24050078977010649	Total
1	2	3	4	5	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	8
1	Koderma	KDMFSH001	Vijay Kumar Singh	Dist.Fish.Off.Kdm.	₹3,00,000.00 (103710)	₹2,00,000.00 (103718)	₹5,00,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹5,00,000.00 (ikWp yk[k) रूपये मात्र ।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

21 (8110)
26/03/2025

(Handwritten signature)

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES